न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

(22)

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 4109/पीबीआर/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 05.07.2016 पारित द्वारा राजस्व निरीक्षक, वृत्त 2 तहसील हुजूर, जिला भोपाल प्रकरण क्रमांक 98/अ-12/15-16.

श्रीमती रंजन मेहता पत्नी श्री हर्षद मेहता,
निवासी एच-18, निशात कॉलोनी, भोपाल .....आवेदक

विरूद्ध

श्रीमती रामकलीबाई पत्नी श्री भवर जी मीना,
निवासी ग्राम इमलिया, तहसील हुजूर, जिला भोपाल .....अनावेदक

श्री अतुल धारीवाल, अभिभाषक, आवेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 5/3/19 को पारित)

आवेदिका द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक, वृत्त 2 तहसील हुजूर, जिला भोपाल द्वारा पारित दिनांक 05.07.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदिका श्रीमती रामकली बाई आत्मज स्व. श्री भवर जी मीना निवासी इमलिया द्वारा राजस्व निरीक्षक, वृत्त 2, तहसील हुजूर, जिला भोपाल के समक्ष एक आवेदन पत्र संहिता की धारा 129 के अंतर्गत प्रस्तुत कर ग्राम सूखी सेवनिया की भूमि सर्वे नंबर 480 रकबा 0.080 हैक्टेयर का सीमांकन किये जाने का अनुरोध किया गया। राजस्व निरीक्षक द्वारा प्र. क्र. 98/अ-12/15-16 दर्ज कर आदेश दिनांक 11.06.2016 से सीमांकन आदेश पारित किया गया। राजस्व निरीक्षक के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) विधि का यह सर्वमान्य सिद्धांत है कि यदि किसी गांव का मानचित्र किन्हीं तकनीकी कारणों से त्रुटिपूर्ण हो जाये, तब जब तक ऐसा मानचित्र सुधार न कर लिया जाये, तब तक इसके आधार पर सीमांकन नहीं किया जाना चाहिए, अन्यथा ऐसे सीमांकन का दुरूपयोग कर संबंधित पक्ष त्रुटिपूर्ण स्थल पर अपना अधिकार स्थापित कर सकता है। ऐसी अवस्था में सीमांकन कार्यवाही त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

(2) विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि सीमांकन सदैव स्थायी सीमाचिन्हों, मेड़ो एवं तिमेडों के आधार पर एवं इन्हीं से सीमाओं को तय करते हुए किया जाना चाहिए, किंतु वर्तमान प्रकरण में संबंधित राजस्व निरीक्षक द्वारा स्थायी सीमा चिन्हों, मेड़ों एवं तिमेड़ों के स्थान पर अस्थायी सीमा चिन्हों से सीमांकन कार्य सुनिश्चित कराया है। ऐसी अवस्था में सीमांकन स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

(3) जब ऐसे स्वीकृत तथ्य विद्यमान थे कि मौके पर स्थायी सीमाचिन्ह विद्यमान नहीं है, तब अधीनस्थ न्यायालय का दायित्व था कि वह संबंधित तहसीलदार से संपर्क कर गांव के लिए ट्रावर्सिंग कराते हुए सर्वप्रथम स्थाई सीमाचिन्ह स्थापित कराते एवं तत्पश्चात् सीमांकन कार्य पूर्ण करते, किंतु ऐसा न कर अस्थायी सीमाचिन्ह के आधार पर सीमांकन कराये जाने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा त्रुटि की है, ऐसी अवस्था में भी सीमांकन स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

(4) मौके पर सीमांकन कार्य संबंधित राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी द्वारा स्वयं न कराते हुए किसी निजी व्यक्ति से टोटल स्टेशन मशीन के माध्यम से कराया गया है, जबकि निजी व्यक्ति से सीमांकन कराये जाने हेतु कोई अनुज्ञा तहसीलदार या अनुविभागीय अधिकारी से प्राप्त नहीं की है, न ही सीमांकन पंचनामे एवं प्रतिवेदन में ऐसे निजी व्यक्ति द्वारा सीमांकन मशीन से किये जाने का हवाला दर्शाया गया है। यहां पर यह स्पष्ट किया जाना अनिवार्य है कि तहसील हुजूर, जिला भोपाल में टोटल स्टेशन मशीन विद्यमान नहीं है। ऐसी अवस्था में भी सीमांकन कार्य त्रुटिपूर्ण होकर स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

(5) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सीमांकन कार्य टोटल स्टेशन मशीन से कराया जाना पंचनामे में दर्शाया गया है, किंतु टोटल स्टेशन मशीन से सीमांकन करने वाले व्यक्ति द्वारा नक्शे पंचनामे इत्यादित पर कोई हस्ताक्षर नहीं किये हैं, न ही क्षेत्र पुस्तिका निर्मित की है। निश्चित तौर पर विवाद की अवस्था में संबंधित राजस्व निरीक्षक या पटवारी सीमांकन के संबंध में तथ्य प्रदर्शित करने को अधिकृत है, न ही जिस व्यक्ति द्वारा सीमांकन किया है,

उसे संबंधित तथ्य प्रस्तुत करने हेतु लाया जा सकता है, क्योंकि संपूर्ण कार्यवाही में उसके नाम, विवरण इत्यादित का उल्लेख नहीं है, न ही हस्ताक्षर कराये हैं। ऐसी अवस्था में भी संपूर्ण कार्यवाही दूषित होकर स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

अत: उनके द्वारा निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त कर दुरूस्त नक्शे के आधार पर स्थायी सीमा चिन्हों से पुन: सीमांकन किये जाने के निर्देश सहित अंतिम आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया।

4/ अनावेदिका के सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जा रही है।

5/ आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। आवेदिका ने अपने निगरानी मेमो में स्वीकारा है कि उसे सीमांकन की पूर्व जानकारी थी। अत: स्पष्टत: आवेदिका द्वारा निगरानी समयबाह्य पेश की गई है तथा इसी आधार पर आवेदिका द्वारा इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है। अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि टी.एस.एम. मशीन से प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन हुआ है तथा अनावेदिका की पूरी जमीन पर आवेदिका का कब्जा पाया गया है। पूरी जमीन पर कब्जे की स्थिति को देखते हुए प्रक्रिया पर आवेदिका द्वारा उठाये गये सीमांकन के अन्य बिंदु महत्वहीन हो जाते हैं। अत: गुण-दोष के आधार पर भी यह निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर राजस्व निरीक्षक, वृत्त 2 तहसील हुजूर, जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.07.2016 स्थिर रखा जाता है। निगरानी निरस्त की जाती है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर